राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर –81/2022

सन्त लाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण उम्र 43 वर्ष निवासी सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– **दिनांक : 23–09–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम सिहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 101 के खसरा नंबर 657 रकबा 0.29 है., ख.नं. 658 रकबा 0.50 है., ख.नं. 659 रकबा 0.08 है., ख.नं. 662 रकबा 0.89 है., ख.नं. 663 रकबा 0.13 है. कुल किता 5 कुलरकबा 1.89 है. का प्रार्थी संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम गलत रूप से "मनोज कुमार पुत्र जगदीश" दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम "सन्त लाल पुत्र जगदीश प्रसाद" है जो उसके अन्य सभी लोक दस्तावेज/कागजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, विद्युत बिल आदि में दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम सिहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 101 के खसरा नंबर 657 रकबा 0.29 है., ख. नं. 658 रकबा 0.50 है., ख.नं. 659 रकबा 0.08 है., ख.नं. 662 रकबा 0.89 है., ख.नं. 663 रकबा 0.13 है. कुल किता 5 कुलरकबा 1.89 है. में प्रार्थी का नाम "मनोज कुमार पुत्र जगदीश" के स्थान पर "सन्त लाल पुत्र जगदीश प्रसाद" दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्रांक राजस्व/2022/78 दिनांक 10–05–2022 से पटवारी हल्का सिहोड़ की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रार्थी ने साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. 101 ग्राम सिहोड़, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सिहोड़, फोटो प्रति आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक संतलाल शर्मा के पेश किये।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का सिहोड़ की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 के अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार करने पर अपनी सहमति प्रकट की है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार, खेतड़ी के पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/78 दिनांक 10–05–2022 के संलग्न पटवारी हल्का सिहोड़ की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.03.2022 के मुताबिक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संदेह से परे साबित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिहोड़ स्थित भूमि हाल खाता सं. 101 खसरा नंबर 657, 658, 659, 662, 663 कुल किता 5 कुल रकबा 1.89 है. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि **"मनोज कुमार पुत्र जगदीश"** के स्थान पर **"सन्त लाल पुत्र जगदीश प्रसाद"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में शुद्ध की गई प्रविष्टियों के अलावा पूर्व से दर्ज प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested